राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– एफ.4(ई)/(226/92) लिंक न. 3270/अलेसे–III/2590 **दिनांक :–** 6.12.18.

आदेश संख्या 254/2017–18

श्री नेहरू लाल, (लिंक नं. 3270) निलम्बित कनिष्ठ लेखाकार को भष्टाचार निरोधक ब्यारो में अपराध दर्ज होने के कारण निदेशालय, कोष एवं लेखा विभाग के आदेश कमांक 8132 दिनांक 25.07.2013 के द्वारा निलंबित किया गया इसके उपरान्त इस कार्यालय के आदेश कमांक 329 दिनांक 27.06.2017 से बहाल किया गया था लेकिन दिनांक 25.05.2018 को गिरफ्तार होने एवं 48 घण्टे से अधिक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण इस कार्यालय आदेश कमांक 1745 दिनांक 20.06.2018 के द्वारा निलंबित किया गया।

श्री नेहरू लाल निलंबित क0लेखाकार को निलंबन से बहाली के संबंध में कार्मिक (क–3) विभाग के परिपत्र कमांक प.2(157) कार्मिक/क–2/97 दिनांक 07.07.2010 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु–3) की आज्ञा कमांक प.6(23) प्रसु/अनु–3/99 दिनांक 12.01.2011 के कम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कर्मचारियों/अधिकारियों की निलम्बन में बहाली हेतु समीक्षा बैठक दिनांक 26.09.2018 को शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। वित्त (राजस्व) विभाग के पत्र कमांक प. 2(3)वित्त/राजस्व/2014 दिनांक 28.09.2018 के द्वारा प्रेषित उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण में श्री नेहरू लाल को निलम्बन से बहाली का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के फलस्वरूप श्री नेहरू लाल, (निलम्बित) क0लेखाकार को निलम्बन से बहाल किया जाता है।

निलम्बन अवधि का निर्णय न्यायालय निर्णय के अध्यधीन किया जावेगा।

उक्त आदेश राजस्थान विधानसभा आम चुनाव–2018 के लिए जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते सक्षम अनुमोदन उपरांत जारी किये जाते है।

6.12.18

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :– एफ.4(ई)/(226/92) लिंक न. 3270/अलेसे–III/2590 **दिनांक :–** 6.12.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग, राज. जयपुर को पत्र कमांक प.2(3) विता/राजस्व/2014 दिनांक 28.09.2018 के कम में।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस द्वितीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।
3. अति.पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण, जयपुर.।
4. कोषाधिकारी कोष कार्यालय (शहर) जयपुर।
5. अतिरिक्त निजी सहायक निदेशक महोदय।
6. श्री नेहरू लाल क.ले. मुख्यालय कोष कार्यालय (शहर) जयपुर।
7. गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/
8. कम्प्यूटर शाखा (वेबसाईट पर प्रकाशन एवं पीआईएस में दर्ज करने हेतु) ।
9. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)